कार्यालय कलेक्टर, खैरागढ–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.)
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
Email:-kcgactd@gmail.com

क्रमांक / 687 / आजाक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2023–24 खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, दिनांक 16 / 02 / 2024
प्रति,

अधिष्ठाता / प्राचार्य
शास. / अशा.महाविद्यालय / इ.क.सं.वि.वि. / पालिटेक्निक / डी.एड.कॉलेज / आई.टी.आई. / कृषि कॉलेज
....जिला–खैरागढ–छुईखदान–गण्डई

विषयः– वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वी से उच्चतर) के आवेदन प्रस्ताव एंव स्वीकृति लॉक करने की तिथि के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक / आ.ला.पो.मै.छा. / 162 / 2023–24 / 12397 नवा रायपुर, दिनांक 15 / 02 / 2024

––000––

छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ.ग. के निवासी) **खैरागढ–छुईखदान–गण्डई जिलें में संचालित** शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, डी.एड.कॉलेज, कृषि कॉलेज, आदि संस्थाओं के प्राचार्यो / संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारी एंव उन संस्थाओं में अध्ययनरत् <u>अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति एव अन्य पिछडा वर्ग</u>, के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है, कि **<u>शिक्षा सत्र 2023–24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी. से उच्चतर) महाविद्यालय स्तर के आवेदन, स्वीकृति एंव वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट</u>** पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव / स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:–

क्र.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	छ.ग. राज्य में अध्ययनरत् विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एंव नवीनीकरण)	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 14.03.2024 तक
2	छ.ग. राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ.ग. के निवासी) विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एंव नवीनीकरण)	दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 26.03.2024 तक
3	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 28.03.2024 तक
4	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 30.03.2024 तक
	Disburse करने हेतु	दिनांक 31.03.2024 तक

<u>यह अंतिम अवसर विद्यार्थियों को प्रदाय किया जा रहा है।</u> निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2023–24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नही किये जायेगें एंव किये गये आवेदनों का Draft Proposal Lock / Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंछित रह जाते है, तो इसके लिये संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोटः–

1.वर्ष 2023–24 से छात्रवृत्ति का <u>PFMS</u> के माध्यम से आधार आधारित बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय **<u>आधार सीडेड ऐकटीव बैंक खाता नम्बर</u>** की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

2.वर्ष 2023–24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किये गये आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. (**OTP**) के माध्यम से किया जाना है। विद्यार्थी **<u>आधार नम्बर पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें।</u>**

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास,
जिला खैरागढ–छुईखदान–गण्डई

Scanned with OKEN Scanner